

27.5.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत निष्पत्ती के
व्याप आपके द्वार -2017 केम्प देखूरी
मे पेश हुई। वादी सं 1 भरत कुमार उप
प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादीगण द्वारा
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान
शासकरी अधिनियम, 1955 विरुद्ध
प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया है। उक्त
वाद मौजा देखूरी के खसरा संख्या
1392 रकबा 0.09 हेक्टर के विभाजन
हेतु प्रस्तुत है। भूमिधारी लहरीबदा
देखूरी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त
भूमि के संबंध मे विचाराधीन प्रकरण
संख्या प2/16 लहरीबदा देखूरी बनाम
भरत कुमार लगेर। अंतर्गत धारा 177

2017-2
20617 200

1/17/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
की तामील में है

राजस्थान शासकरी अधिनियम का
निस्तारण होकर वादग्रस्त भूमि से
उत्तरदाता वादी/प्रतिवादी को बेदखल
किये जाने के आदेश पारित हो चुके
हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के
संबंध में प्रस्तुत यह वाद परिपोषणिय
नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज
किया जाता है। मिसल कैसल शुमार
होकर नंबर से कम है।

निर्णय मज्मा नए आम में दिनांक
27-5-2017 को सुनाया गया।



(~~रामेश मेवाडा~~)
(उपखण्ड अधिकारी)
देसरी (पाली)
उपरखण्ड अधिकारी
देसरी (पाली)
कम्प देसरी